संचिका सं0–12 / प0–08–11 / 11

निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं,
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 सुरेन्द्र प्रसाद,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन, बिहार /
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार /
सभी आयुष अस्पताल, बिहार ।

/ पटना, दिनांक–

विषयः–निविदा के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय अपर परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के ज्ञापांक 323 / 3203 दिनांक 10.07.12 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि तत्काल प्रभाव से मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स, पटना को काली सूची में दर्ज करते हुए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा भाग लेने पर रोक लगायी गयी है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ ।

विश्वासभाजन

16/8/12

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

16-8-12

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–अपर परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

16/8/12

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

16-8-12

Aids (B.S.) 10/20/2005 (III)-
बिहार सरकार
स्वस्थ्य विभाग
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन
शेखपुरा पटना–800014
ई–मेल– bsacshelp@bsacs.org

आदेश संख्या– 323 / 3203 पटना, दिनांक 10 / 07 / 2012

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–2537, दिनांक 31.03.2012 के द्वारा मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल, ककड़बाग, पटना में किराए पर 50 KVA (silent mode) जेनरेटर लगाने हेतु आहुत निविदा के आलोक में मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स, सी–7, लव–कुश टॉवर,एक्जीबिशन रोड, पटना–1 को कार्यादेश दिया गया था। समिति के निविदा के शर्त के अनुसार 50 KVA (silent mode) जेनरेटर की स्थापना 1 अप्रैल 2012 को कर दिया जाना था। परन्तु नियत तिथि तक मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स द्वारा जेनरेटर की स्थापना नहीं की गई तथा दिनांक 04.04.2012 को पत्र द्वारा अपने को असमर्थ कसर करते हुए जमा किये गये अग्रधन राशि की वापसी की माँग की गई। इस गैर जिम्मेदराना क्रिया कलाप को देखते हुए समिति द्वारा मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स से स्पष्टीकरण की माँग पत्रांक– 2578, दिनांक 09.04.2012 द्वारा की गई।

मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स, पटना के पत्रांक–शुन्य, दिनांक– 11.04.2012 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को उपलब्ध कराया जिसमें कहा गया है कि जेनरेटर कम्पनी से खरीदने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है। इस कार्य के लिए 5–6 सप्ताह लगेगें। प्राप्त स्पष्टीकरण की व्यापक समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि दिया गया कार्यादेश की अवहेलना हुई एवं समिति को धोखा मे रखकर निविदा लिया गया, जिससे समयावधि के अन्तर्गत पूरा नहीं करने से समिति को काफी क्षति हुई है। फलतः बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना द्वारा निर्णय लिया गया कि जारी किया गया कार्यादेश को रद्द किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स, पटना को काली सूची में दर्ज करते हुए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाई जाती है।

उपरोक्त आशय की सूचना बिहार सरकार के सभी विभागो, निगमों, एवं समितियों को अविलंब दिया जाए एवं सर्वसाधारण के सूचना हेतु इसे बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के वेबसाईट पर भी दर्ज किया जाए।

10/7/12
अपर परियोजना निदेशक
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति
पटना, दिनांक 10 / 07 / 2012

ज्ञापांकः– 323 / 3203
प्रतिलिपिः–

1. मेसर्स राय इलेक्ट्रीकल्स, सी–7, लव–कुश टॉवर,एक्जीबिशन रोड,पटना–1 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(77)

2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. बिहार सरकार के आधीन सभी विभाग, निगम, समितियों को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/12

अपर परियोजना निदेशक
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति